[भारत का राजपत्र, भाग I—खण्ड 1, दिनांक 31 जनवरी 2009 से उद्धरण]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2008

सं. 11(1)/2004-आईपी एवं आईडी (आईपी एवं आईसी- IV) - भारत सरकार ने 11वी पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु 74.5 करोड़ रुपये के परिव्यय से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को अनुमोदित किया है, जिसका नाम "निवेश संवर्धन योजना" है। इस योजना का लक्ष्य देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।

2. इस योजना में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनागत दो योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना में मिलाया गया है, जिसका नाम 'निवेश संवर्धन योजना' है और जिसे 11वीं योजनावधि में कार्यान्वित किया जाएगा। ये योजनाएं हैं 1997-98 से कार्यान्वित की जा रही "निवेश संवर्धन कार्याकलापों को आरंभ करना" तथा 2001-02 के कार्यान्वित की जारी "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम - भारत में एशिया उपक्रम" पहले की दोनों योजनाओं में ऐसे उद्देश्य थे जो एक दूसरे के क्षेत्र में आते थे अतः योजना आयोग के अनुमोदन से इन योजनाओं को मिला देने का निर्णय लिया गया। जो विलयित योजना, वित्तीय वर्ष 2007-08 में अस्तित्व में आयी उसका नाम "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त उद्यम - एशिया उपक्रग और निवेश संवर्धन कार्यकलाप" था।

3. 3 सितंबर, 2008 को सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में हुई विभागीय व्यय वित्त समिति के अनुमोदन से, विलयित योजना के घटकों को परिष्कृत कर उनके दायरे में विस्तार किया गया है, और योजना का नाम बदलकर "निवेश संवर्धन योजना" कर दिया गया है। वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, योजना को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

4. दिनांक 11.11.2008 के समसंख्यक ओ एम के तहत जारी योजना के घटकों का ब्यौरा अधिसूचना के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

5. इसे एकीकृत वित्त स्कंध की सहमति से उनकी दिनांक 5.11.2008 की डायरी सं. 1722 वित्त-II के द्वारा जारी किया जाता है।

चांदनी रैना
संयुक्त निदेशक